राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 488 सन 2017

अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र पन्नाराम जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. रूकमणी पुत्री रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर
4. सावित्री पुत्री रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर
5. विमला पुत्री रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इष्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेष किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 15 बारनी के खाता सख्या 127/128 की कुल 2.1505हैक भूमि पर वादी काबिज है जो सयुक्त हिन्दु खानदान का सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 परिवार का मुखिया हे जिसके नाम से भूमि आवंटन हुई थी लेकिन समस्त किष्ते परिवार की आय से ही जमा करवाने के कारण जददी जयदाद हे जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहने है जो शादिषुद्वा है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में कर दिया है ।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेष होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के समर्थन में ईकबालदावा/राजीनामा पेष किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा परिवार की आय से खातेदारी होना माना जा सकता है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 सभी का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने इकबाल दावा/ राजीनामा के जरिये स्वीकार किया गया है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार कर लिया है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिज डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा लोक भावना से प्रेरित होकर किये गये राजीनामा/ सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 127/128 के प०न०

317/446(42) किला न0 17 ता 19/0.759 ,23 ता 25/0.759 प0न0 318/446(43) किला न0 21 ता 22/.506 ,23/1 की 0.1265हैक कुल 2.1505हैक जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आष्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–चक सरदारपुरा

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र रामेषवरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 रामेश्वरलाल पुत्र पन्नाराम जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कमला पुत्री रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर।
3. रूकमणी पुत्री रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर
4. सावित्री पुत्री रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर
5. विमला पुत्री रामेश्वरलाल जाति खाती साकिन नोहर तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 488 सन 2017 निर्णय दिनांक

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 बारानी के खाता संख्या 127/128 के प0न0 317/446(42) किला न0 17 ता 19/0.759 ,23 ता 25/0.759 प0न0 318/446(43) किला न0 21 ता 22/.506 ,23/1 की 0.1265हैक कुल 2.1505हैक जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी अकेला खातेदार काष्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखेर रूप्ये पांच हजार का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–चक सरदारपुरा